

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3470/2025**

मूला राम पुत्र वभूता राम, आयु लगभग 40 वर्ष, उप सरपंच, ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल, पंचायत समिति आदेल, जिला बाड़मेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
3. उपखंड अधिकारी, गुडामालानी, जिला बाड़मेर।

----प्रत्यर्थी

(4) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3500/2025

दिलदार पुत्र जमालदीन, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी दूनिया का पाड़ा, गाँव साँवा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर। वर्तमान में सरपंच, ग्राम पंचायत साँवा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
3. उपखंड अधिकारी, चौहटन, जिला बाड़मेर।
4. विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत साँवा, पंचायत समिति धनाऊ, जिला बाड़मेर।

----प्रत्यर्थी

(7) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3963/2025

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र मूल सिंह, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी सोलंखियों की ढाणी, जियाबेरी, जोधपुर, राजस्थान।
2. जबर सिंह पुत्र भूरा सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी जीरा बेरी, तहसील बालेसर, निम्बो का गाँव, जोधपुर, राजस्थान।

3. गोपाल सिंह पुत्र जबर सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी जियाबेरी, निम्बा का गाँव, जोधपुर, राजस्थान।
4. पारस कंवर पत्नी मूल सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी जियाबेरी, तहसील शेरगढ़, जोधपुर, राजस्थान।
5. मूल सिंह पुत्र बख्तवार सिंह, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी जियाबेरी, निम्बा का गाँव, जोधपुर, राजस्थान।
6. सुमेर सिंह पुत्र मूल सिंह, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी 111, जियाबेरी, जोधपुर, राजस्थान।
7. जबर सिंह पुत्र मंगल सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी सोलंकीयों की ढाणी, जियाबेरी, बालेसर, जोधपुर, राजस्थान।
8. भवानी सिंह पुत्र जबर सिंह, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी गाँव तालिया, जियाबेरी, बालेसर, जोधपुर, राजस्थान।
9. पूनम कंवर पत्नी देवेन्द्र सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी सोलंकीयों की ढाणी, जियाबेरी, जोधपुर, राजस्थान।
10. मोहन कंवर पत्नी हडवंत सिंह, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी जियाबेरी, निम्बो की ढाणी, बालेसर, जोधपुर।
11. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मूल सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी जियाबेरी, तहसील शेरगढ़, निम्बो का गाँव, जोधपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर (भू राजस्व), जिला जोधपुर (राज.)।
3. तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।
4. ग्राम पंचायत जियाबेरी, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर, अपने सरपंच के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(8) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3981/2025

1. छत्तर सिंह राठौर पुत्र छोग सिंह, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी गाँव बूंगड़ी, जिला-फलोदी 342312।

2. अर्जुन राम पुत्र देवा राम, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी गाँव बूंगड़ी, जिला-फलोदी 342312।
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र करणी सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी गाँव बूंगड़ी, जिला-फलोदी 342312।
4. शेर सिंह पुत्र सरदार सिंह, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी गाँव बूंगड़ी, जिला-फलोदी 342312।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, फलोदी, राजस्थान।
3. उपखंड अधिकारी, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी, राजस्थान।
4. तहसीलदार, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत बूंगड़ी, पंचायत समिति घंटियाली, जिला फलोदी।

----प्रत्यर्थी

(9) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4040/2025

1. गजे सिंह राठौर पुत्र लाल सिंह राठौर, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी विशन सिंह की ढाणी रानी गाँव, जिला बाड़मेर।
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी रानी गाँव, जिला बाड़मेर।
3. निम्ब सिंह पुत्र देरावर सिंह, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी रानी गाँव, जिला बाड़मेर।
4. हाकम सिंह पुत्र चंदन सिंह, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी रानी गाँव, जिला बाड़मेर।
5. पवन सिंह पुत्र हुकम सिंह, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी रानी गाँव, जिला बाड़मेर।
6. गेना राम पुत्र करना राम, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी रानी गाँव, जिला बाड़मेर।
7. निसार खान पुत्र फोटू खान, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी रानी गाँव, जिला बाड़मेर।

8. दिग्पाल सिंह पुत्र पदन सिंह राठौर, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी रानी गाँव, जिला बाड़मेर।
9. महेन्द्र सिंह पुत्र हनवंत सिंह, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी रानी गाँव, जिला बाड़मेर।
10. पिका कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी रानी गाँव, जिला बाड़मेर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर (भू राजस्व), जिला-बाड़मेर, राज.।
3. तहसीलदार, बाड़मेर, जिला-जोधपुर, राज.।
4. पटवारी (भू राजस्व), रानी गाँव, जिला बाड़मेर।
5. ग्राम पंचायत जियाबेरी, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर, सरपंच के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(10) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4041/2025

जगदीश पुत्र लिखमा राम, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम कुंडावा, डऊकियों की ढाणी, धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
3. उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
4. तहसीलदार, धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत भेलों की ढाणी कलां, पंचायत समिति धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

----प्रत्यर्थी

(14) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4123/2025

कृष्ण कुमार पुत्र भोमा राम, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
3. उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
4. तहसीलदार, धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत लोहारवा, पंचायत समिति धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

----प्रत्यर्थी

(19) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4443/2025

1. श्रवण राम पुत्र श्री शेरा राम, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी गाँव बलदेव नगर, तहसील चामू, जिला जोधपुर (राज.)।
2. सुनीता पत्नी श्रवण राम, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी गोदारों की ढाणियाँ, गाँव बलदेव नगर, तहसील चामू, जिला जोधपुर (राज.)।
3. कुम्भा राम पुत्र श्री मेघा राम, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी देवनिया, तहसील चामू, जिला जोधपुर (राज.)।
4. भैरा राम पुत्र श्री उदा राम, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी कडवासरो की ढाणी, गाँव बलदेव नगर, तहसील चामू, जिला जोधपुर (राज.)।
5. सता राम पुत्र श्री ओमप्रकाश, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी गाँव बलदेव नगर, तहसील चामू, जिला जोधपुर (राज.)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
3. उपखंड अधिकारी, बालेसर, जोधपुर।
4. तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत देवनिया, पंचायत समिति चामू, जिला जोधपुर, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से।

(35) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4507/2025

1. जेठा राम पुत्र जगमाल राम, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी आड़ सिंधरी, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान।
2. पंचा राम पुत्र शेंभु राम, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी आड़ सिंधरी, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान।
3. जगमा राम पुत्र तुलसा राम, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी आड़ सिंधरी, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान।
4. धर्मवीर सिंह पुत्र गोमा राम, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी आड़ सिंधरी, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान।
5. नरना राम पुत्र भेरा राम, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी आड़ सिंधरी, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान।
6. नेमा राम पुत्र नरना राम, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी आड़ सिंधरी, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान।
7. भोपा राम पुत्र हिन्दु राम, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी आड़ सिंधरी, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान।
8. थाना राम पुत्र भोपा राम, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी आड़ सिंधरी, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान।
9. चंपा देवी पत्नी नरना राम, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी आड़ सिंधरी, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान।
10. खेता राम पुत्र भोपा राम, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी आड़ सिंधरी, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान।
11. गोमा राम पुत्र पुरखा राम, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी आड़ सिंधरी, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, बालोतरा।
3. उपखंड अधिकारी, सिंधरी, बालोतरा।

4. तहसीलदार (भू अभिलेख), सिंधरी, जिला बालोतरा।
5. ग्राम पंचायत आड़ सिंधरी, पंचायत समिति पायल कलां, जिला बालोतरा, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(37) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4512/2025

राम कुमार पुत्र घमंडाराम, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी नेहरों की ढाणी खुर्द, नोखड़ा, जिला बाड़मेरा।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, बाड़मेरा।
3. उपखंड अधिकारी, गुडामालानी, जिला बाड़मेरा।
4. तहसीलदार, नोखड़ा, जिला बाड़मेरा।
5. विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आनाखिया, पंचायत समिति आदेल, जिला बाड़मेरा।

----प्रत्यर्थी

(129) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3112/2025

1. मोटा राम पुत्र श्री माना राम, आयु लगभग 52 वर्ष,
 2. इंद्रा राम पुत्र जवारा राम, आयु लगभग 61 वर्ष,
 3. दुदा राम पुत्र महाराज राम, आयु लगभग 60 वर्ष,
- सभी निवासी रामेश्वर नगर, गोलिया जेतमाल, जिला बाड़मेरा।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, बाड़मेरा।
3. उपखंड अधिकारी, गुडामालानी, जिला बाड़मेरा।

----प्रत्यर्थी

(131) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3156/2025

पारतापा राम पुत्र श्री अन्नाराम, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी भेड़ाना, जिला बाड़मेर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर (भूमि अभिलेख), बाड़मेर।
3. तहसीलदार, गुडामालानी, जिला बाड़मेर (राज.)।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत भेड़ाना, तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर (राज.)।

----प्रत्यर्थी

(134) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3317/2025

1. शौकत पुत्र सुलेमान, आयु लगभग 37 वर्ष,
 2. कबाल पुत्र हसन, आयु लगभग 61 वर्ष,
 3. अकबर पुत्र मोहम्मद, आयु लगभग 54 वर्ष,
- सभी निवासी गाँव भूणिया, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व (समूह-1) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
3. उपखंड अधिकारी, चौहटन, जिला बाड़मेर।
4. तहसीलदार (भूमि अभिलेख), धनाऊ, जिला बाड़मेर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।

----प्रत्यर्थी

(180) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14711/2024

1. सुमन बिश्रोई पत्नी सुनील कुमार नैन, वार्ड पंच (वार्ड संख्या 4), आयु लगभग 31 वर्ष, पता-पूर्वी बिश्रोईयों की ढाणियां, गाँव केलणसर, ग्राम पंचायत-घंटियाली, तहसील-घंटियाली, जिला फलोदी (जोधपुर), राजस्थान 342311।
2. भीख सिंह पुत्र किस्तूर सिंह गहलोत, वार्ड पंच (वार्ड संख्या 7), आयु लगभग 69 वर्ष, पता-गाँव केलणसर, ग्राम पंचायत-घंटियाली, जिला फलोदी (जोधपुर), राजस्थान 342311।
3. भूरी पत्नी चिरमा राम, वार्ड पंच (वार्ड संख्या 3), आयु लगभग 94 वर्ष, पता-गाँव केलणसर, ग्राम पंचायत-घंटियाली, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी (जोधपुर), राजस्थान 342311।
4. मोहन राम पुत्र धन्ना राम, वार्ड पंच (वार्ड संख्या 5), आयु लगभग 64 वर्ष, पता-गाँव केलणसर, ग्राम पंचायत-घंटियाली, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी (जोधपुर), राजस्थान 342311।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, फलोदी, राजस्थान।
3. उपखंड अधिकारी, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी, राजस्थान।
4. तहसीलदार, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत केलणसर, पंचायत समिति घंटियाली, जिला फलोदी।

----प्रत्यर्थी

(281) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 755/2023

1. वीरा राम चौधरी पुत्र देवा राम चौधरी, आयु लगभग 41 वर्ष,
2. हुकमा राम पुत्र चूना राम, आयु लगभग 28 वर्ष,
3. देवा राम पुत्र डूंगरा राम, आयु लगभग 64 वर्ष,
4. पद्मा राम पुत्र रूपा राम, आयु लगभग 45 वर्ष,
5. बाँका राम पुत्र डूंगर राम, आयु लगभग 63 वर्ष,
6. देदा राम पुत्र रूपा राम, आयु लगभग 44 वर्ष,

सभी निवासी गाँव कोठे का ताला, घरासर, चौहटन, जिला बाड़मेर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्राम पंचायत और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
3. तहसीलदार (भूमि राजस्व), चौहटन, जिला बाड़मेर।
4. उपखंड अधिकारी, चौहटन, जिला बाड़मेर।

----प्रत्यर्थी

(338) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1899/2025

1. खंगा राम पुत्र काना राम, आयु लगभग 68 वर्ष,
 2. पुरखा राम पुत्र सोना राम, आयु लगभग 64 वर्ष,
 3. जेठा राम पुत्र लिछमणा राम, आयु लगभग 37 वर्ष,
- सभी निवासी सुथारों की ढाणी, बांड, तहसील मोखड़ा, जिला बाड़मेर, जिला बाड़मेर (राज.)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
3. उपखंड अधिकारी, गुडामालानी, जिला बाड़मेर।
4. विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बांड बेरी, पंचायत समिति आदेल, जिला बाड़मेर।

----प्रत्यर्थी

(339) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10882/2024

1. गुनेशा राम पुत्र मुला राम, आयु लगभग 53 वर्ष, पता-गाँव तालिया केलणसर, ग्राम पंचायत-घंटियाली, तहसील-घंटियाली, जिला फलोदी, राजस्थान 342311।
2. श्रवण राम नैन पुत्र जोरा राम नैन, आयु लगभग 43 वर्ष, पता-गाँव केलणसर, ग्राम पंचायत घंटियाली, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी, राजस्थान 342311।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, फलोदी, राजस्थान।
3. उपखंड अधिकारी, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी, राजस्थान।
4. तहसीलदार, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत केलणसर, पंचायत समिति घंटियाली, जिला फलोदी।

----प्रत्यर्थी

(340) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19881/2024

1. जाबर सिंह पुत्र श्री नाग सिंह, आयु लगभग 45 वर्ष,
2. दुर्जन सिंह पुत्र नाग सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष,
3. खेत सिंह पुत्र जब्बर सिंह, आयु लगभग 47 वर्ष,
4. छत्तर सिंह पुत्र माल सिंह, आयु लगभग 47 वर्ष,
5. विशाल सिंह पुत्र रिडमल सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष,
6. विजय सिंह पुत्र नाग सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष,
7. ओम सिंह पुत्र लाल सिंह, आयु लगभग 26 वर्ष,
8. छोट्टू सिंह पुत्र विजय सिंह, आयु लगभग 22 वर्ष,
9. देवी सिंह पुत्र विजय सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष,
10. लाल सिंह पुत्र गजे सिंह, आयु लगभग 50 वर्ष,

सभी जाति राजपूत, निवासी गाँव रामसर, तहसील चामू, जिला जोधपुर (राज.)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
3. उपखंड अधिकारी, बालेसर, जोधपुर।
4. तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत रामसर, पंचायत समिति चामू, जिला जोधपुर, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(341) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20588/2024

1. जेटू सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी देवातु, जोधपुर, राजस्थान।
2. छतुर सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी विजय सिंह नगर, देवातु, जोधपुर, राजस्थान।
3. सुमेर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी विजय सिंह नगर, देवातु, जोधपुर, राजस्थान।
4. जसवंत सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी विजय सिंह नगर, देवातु, जोधपुर, राजस्थान।
5. आम सिंह पुत्र श्री नखत सिंह, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी विजय सिंह नगर, देवातु, जोधपुर, राजस्थान।
6. नखत सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी गाँव देवातु, जोधपुर, राजस्थान।
7. देवी सिंह पुत्र श्री हीर सिंह, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी विजय सिंह नगर, देवातु, जोधपुर, राजस्थान।
8. लूना राम पुत्र श्री दौला राम, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी देवातु, शेरगढ, जोधपुर, राजस्थान।
9. गणेश कटारिया पुत्र श्री मोहन राम कटारिया, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी 143, कटारियों की ढाणियां, विजय सिंह नगर, देवातु, जोधपुर, राजस्थान।
10. डूंगर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, आयु लगभग 80 वर्ष, निवासी सोहन नगर, देवातु, शेरगढ, जोधपुर, राजस्थान।
11. भूर सिंह पुत्र श्री किशोर सिंह, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी चांवत सागर, देवातु, जोधपुर, राजस्थान।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, जिला जोधपुर (राज.)।
3. तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर (राज.)।
4. ग्राम पंचायत देवातु, पंचायत समिति चामू, जिला जोधपुर, सरपंच के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(342) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20589/2024

1. रावल चंद पुत्र श्री शीशकरण, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी गाँव देवातु, शेरगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान।
2. गुनेशा राम पुत्र श्री लाखा राम, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी ग्राम तालिया, देवातु, शेरगढ़, जोधपुर, राजस्थान।
3. भोम सिंह पुत्र श्री संगत सिंह, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी लुहारों की ढाणी, देवातु, जोधपुर, राजस्थान।
4. सांगा राम पुत्र श्री आढा किशन, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी ब्राह्मणों की ढाणियां, देवातु, बालेसर, जोधपुर, राजस्थान।
5. रावल मल पुत्र श्री मांगी लाल, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी गाँव पोस्ट देवातु, जोधपुर, राजस्थान।
6. ऐड़न राम पुत्र श्री राधाकिशन, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी ब्राह्मणों की ढाणियां, देवातु, शेरगढ़, जोधपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, जिला जोधपुर (राज.)।
3. तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर (राज.)।
4. ग्राम पंचायत देवातु, पंचायत समिति चामू, जिला जोधपुर, खंड सरपंच के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(343) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21134/2024

1. सुरेश सिंह पुत्र देवी सिंह, आयु लगभग 39 वर्ष,
2. देवा राम पुत्र राणा राम, आयु लगभग 65 वर्ष,
3. भंवर सिंह पुत्र सुजान सिंह, आयु लगभग 65 वर्ष,
4. लिखमा राम पुत्र भीम सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष,
5. भंवरा राम पुत्र पूना राम, आयु लगभग 25 वर्ष,
6. शेर सिंह पुत्र पूनम सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष,

7. अचला राम पुत्र पुरखा राम, आयु लगभग 70 वर्ष,
8. डूंगर सिंह पुत्र संग सिंह, आयु लगभग 45 वर्ष,
9. भूरा राम पुत्र भीम सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष,
10. चूना राम पुत्र देवा राम, आयु लगभग 36 वर्ष,
11. हरी सिंह पुत्र सज्जन सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष,

सभी निवासी गाँव खिंवसर, पंचायत समिति भणियाणा, जिला जैसलमेर (राज.)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जैसलमेर।
4. उपखंड अधिकारी, भणियाणा, जिला जैसलमेर।
5. तहसीलदार, भणियाणा, जिला जैसलमेर।
6. ग्राम पंचायत खिंवसर-II, पंचायत समिति भणियाणा, जिला जैसलमेर (राज.), अपने ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से।
7. महेश कडवासरा पुत्र परमा राम, निवासी गाँव खिंवसर, पंचायत समिति भणियाणा, जिला जैसलमेर (राज.)।

----प्रत्यर्थी

(344) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21547/2024

1. गयाद सिंह पुत्र भूर सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी बलवंत सिंह नगर की ढाणियां, बुगाड़ी, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।
2. भाणी राम @ भाना राम सुथार पुत्र नेनू राम, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी गाँव बुगाड़ी, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।
3. भोजा राम पुत्र नरना राम, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी गाँव बुगाड़ी, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।
4. अर्जुन सिंह पुत्र चेन सिंह, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी बलवंत सिंह नगर की ढाणियां, बुगाड़ी, पंचायत समिति घंटियाली, जिला फलोदी।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, फलोदी, राजस्थान।
3. उपखंड अधिकारी, तहसील बाप, जिला फलोदी, राजस्थान।
4. तहसीलदार, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।
5. ग्राम पंचायत बुगाड़ी, पंचायत समिति, घंटियाली, जिला फलोदी, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(346) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 254/2025

1. गंगा सिंह पुत्र श्री खेत दान, आयु लगभग 72 वर्ष, जाति चारण, निवासी जुड़िया, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. गोपा राम पुत्र श्री काना राम, जाति सुथार, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी जुड़िया, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
3. ईश्वर दान पुत्र श्री देवी दान, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी जुड़िया, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग (समूह-1), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
4. जिला कलेक्टर (भूमि अभिलेख), जोधपुर ग्रामीण।
5. उपखंड अधिकारी, बालेसर, जिला जोधपुर।
6. तहसीलदार (राजस्व), बालेसर, जिला जोधपुर।
7. ग्राम पंचायत जुड़िया, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर, सरपंच के माध्यम से।
8. लक्ष्मण सिंह, वर्तमान पटवारी, पटवार हल्का जुड़िया, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

9. श्री बाबू सिंह राठौर, विधायक, शेरगढ़, जिला जोधपुर।

----प्रत्यर्थी

(347) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 484/2025

1. रेवंत राम पुत्र श्री किशाना राम, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
2. प्रेमा राम पुत्र श्री किशाना राम, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
3. फूसा राम पुत्र श्री हेमा राम, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
4. भोमा राम पुत्र श्री भैरा राम, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
5. भंवरा राम पुत्र श्री फूसा राम, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
6. रावल सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
7. हाथी सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर, राजस्थान।
8. बागा राम पुत्र श्री मोडा राम, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
9. हरकी पत्नी श्री सूजा राम, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
10. ओमा राम पुत्र श्री काना राम, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
11. स्वरूपा राम पुत्र श्री चनाना राम, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
12. नंद किशोर पुत्र श्री चनाना राम, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी भालू जवाहरपुरा, भालू राजवान, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर, राजस्थान।
13. जसराज शर्मा पुत्र श्री चनाना राम, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी भालू राजवान, भालू जवाहरपुरा, जिला जोधपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, जिला जोधपुर (राज.)।
3. तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर (राज.)।
4. ग्राम पंचायत केतु माडा, पंचायत समिति सेखाला, जिला जोधपुर, सरपंच के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(349) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 499/2025

1. हिम्मत सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी केतू मांडा, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
2. शंभू सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी केतू मांडा, बालेसर, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
3. प्रवीण सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी केतू मांडा, बालेसर, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
4. भगवान सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी केतू मांडा, बालेसर, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
5. किशन सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी जेटू सिंह नगर, केतू मांडा, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
6. पप्पू कंवर पत्नी श्री तेज सिंह, आयु लगभग 79 वर्ष, निवासी खिंचियों की ढाणी, केतू मांडा, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
7. कन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी केतू मांडा, बालेसर, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
8. सूवा कंवर पत्नी श्री सुमेर सिंह, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी केतू मांडा, तहसील बालेसर, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, जिला जोधपुर (राज.)।

3. तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर (राज.)।
4. ग्राम पंचायत केतू माडा, पंचायत समिति सेखाला, जिला जोधपुर, सरपंच के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(350) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 511/2025

1. सगत सिंह पुत्र श्री पाने सिंह, आयु लगभग 74 वर्ष, निवासी केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
 2. मदन सिंह पुत्र श्री चैन सिंह, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
 3. रुखमनीकौर पत्नी श्री भीम सिंह राठौर, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी मोड़ जी की ढाणी, केतू कलां, सेखाला, बालेसर, जिला जोधपुर, राजस्थान।
 4. जसवंत सिंह पुत्र श्री संघ सिंह, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी खेत मांडा, केतू माडा, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
 5. भवानी सिंह पुत्र श्री संग सिंह, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
 6. भोम सिंह राठौर पुत्र श्री संग सिंह राठौर, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी जेटू सिंह नगर, केतू मांडा, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
 7. शंभू सिंह पुत्र श्री संग सिंह, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी केतू मांडा, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
 8. गंगा सिंह पुत्र श्री चैन सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
 9. सुगन कंवर पत्नी श्री चैन सिंह, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी खेत नगर, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
 10. आशा कंवर पत्नी श्री किशन सिंह, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
 11. कन सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी 513, करण सिंह हिरोत, शेरगढ़, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
 12. किशन सिंह पुत्र श्री सगत सिंह, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
-

13. देवा राम पुत्र श्री सांगा राम सुथार, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी 37, जेटू सिंह नगर, केतू मांडा, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
14. बस्ती देवी पत्नी श्री देवा राम, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी सुथारों की ढाणी, केतू मांडा, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
15. सुआ देवी पत्नी श्री गणपत राम, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी गहलोतों की ढाणी, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
16. गोपाल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
17. दुर्गा कंवर पत्नी श्री राजू सिंह, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी जेटू सिंह नगर, केतू मांडा, केतू कलां, जिला जोधपुर, राजस्थान।
18. भीक सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी रावों की ढाणी, केतू मानावता, जिला जोधपुर, राजस्थान।
19. माजू कंवर पत्नी श्री संघ सिंह, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी केतू कलां, मोड़ जी की ढाणी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, जिला जोधपुर (राज.)।
3. तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर (राज.)।
4. ग्राम पंचायत केतू मांडा, पंचायत समिति सेखाला, जिला जोधपुर, अपने सरपंच के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(352) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1121/2025

1. मांगीलाल पुत्र श्री खिया राम, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी विष्णु नगर डूगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।
2. शेखर चंद पुत्र हड़मान राम, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी विष्णु नगर डूगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।
3. विक्रम पुत्र श्री चूना राम, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी विष्णु नगर डूगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।

4. भागीरथ राम पुत्र श्री हजारी राम, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी विष्णु नगर डूंगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।
5. हनुमान राम पुत्र श्री बागता राम, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी विष्णु नगर डूंगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
3. उपखंड अधिकारी, बालेसर, जोधपुर।
4. तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत रामसर, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से।

-----प्रत्यर्थी

(353) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1122/2025

1. बागडू राम पुत्र श्री पहलद राम, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी विष्णु नगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।
2. पापा राम पुत्र हरू राम, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी विष्णु नगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।
3. भजन लाल पुत्र नरसिंह राम, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी विष्णु नगर, डूंगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।
4. कालू राम पुत्र पोकर राम, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी विष्णु नगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।
5. शरवन राम पुत्र करना राम, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी विष्णु नगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।
6. भंवर लाल पुत्र खिया राम, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी विष्णु नगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलक्टर, जोधपुर।
3. उपखंड अधिकारी, बालेसर, जोधपुर।
4. तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत डूगर, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(354) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1302/2025

1. ओमाराम पुत्र श्री चंदराराम, आयु लगभग 44 वर्ष,
2. रिडमलराम पुत्र रंगाराम, आयु लगभग 62 वर्ष,
3. थानाराम पुत्र चुनाराम, आयु लगभग 45 वर्ष,
4. हीराराम पुत्र श्री अचलाराम, आयु लगभग 35 वर्ष,
5. शेराराम पुत्र श्री पहलादराम, आयु लगभग 25 वर्ष,

सभी निवासी भालू अनूपगढ़, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर (राज.)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग (समूह-1), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से.
2. जिला कलक्टर, जोधपुर, जिला जोधपुर (राज.).
3. उपखंड अधिकारी, बालेसर, जिला जोधपुर (ग्रामीण) (राज.).
4. तहसीलदार (भू अभिलेख), सेखाला, जिला जोधपुर (राज.).
5. सरपंच, ग्राम पंचायत भालू अनूपगढ़, पंचायत समिति सेखाला, जिला जोधपुर (राज.).

----प्रतिवादीगण

(355) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1343/2025

1. सांगाराम पुत्र श्री पीपाराम, आयु लगभग 32 वर्ष,
2. नखताराम पुत्र हमीराराम, आयु लगभग 45 वर्ष,
3. फूसाराम पुत्र पूनाराम, आयु लगभग 60 वर्ष,
4. अम्बाराम पुत्र श्री गोरथराम, आयु लगभग 30 वर्ष,
5. निम्बाराम पुत्र श्री रामूराम, आयु लगभग 28 वर्ष,

सभी निवासी रणकेश्वर नगर, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर (राज.)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग (समूह-1), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से.
2. जिला कलक्टर, जोधपुर, जिला जोधपुर (राज.).
3. उपखंड अधिकारी, बालेसर, जिला जोधपुर (ग्रामीण) (राज.).
4. तहसीलदार (भू अभिलेख), सेखाला, जिला जोधपुर (राज.).
5. सरपंच, ग्राम पंचायत भालू अनूपगढ़, पंचायत समिति सेखाला, जिला जोधपुर (राज.).

----प्रतिवादीगण

(356) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1350/2025

1. डूंगर सिंह पुत्र श्री जेटू सिंह, जाति राजपूत, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम खिरजा भोजा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राज.).
2. खुशाल सिंह पुत्र श्री कान सिंह, जाति राजपूत, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी ग्राम खिरजा भोजा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राज.).
3. बाबू राम पुत्र श्री शम्भू राम, जाति प्रजापत, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी ग्राम खिरजा भोजा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राज.).
4. जेटू सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह, जाति राजपूत, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम खिरजा भोजा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राज.).
5. लाखा राम पुत्र श्री नागा राम, जाति प्रजापत, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी ग्राम खिरजा भोजा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राज.).

6. भंवर सिंह पुत्र श्री हीर सिंह, जाति राजपूत, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी ग्राम खिरजा भोजा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राज.).

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, विशेष सचिव, राजस्व विभाग (समूह-1), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से.
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर (राज.).
3. जिला कलक्टर, (भू अभिलेख), जोधपुर (राज.).
4. तहसीलदार (भू अभिलेख), तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राज.).
5. ग्राम पंचायत, खिरजा फतेहसिंह, ग्राम विकास अधिकारी, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राज.) के माध्यम से.
6. सरपंच, ग्राम पंचायत खिरजा, फतेहसिंह, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राज.).

----प्रतिवादीगण

(358) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1430/2025

1. चम्पा लाल सिंह पुत्र स्व. श्री रण सिंह, आयु लगभग 50 वर्ष,
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. श्री रामलाल सिंह, आयु लगभग 70 वर्ष,
3. अमोलक दास पुत्र स्व. श्री पूनम दास, आयु लगभग 55 वर्ष,
4. पुख सिंह पुत्र स्व. श्री मान सिंह, आयु लगभग 45 वर्ष,
5. मनोहर सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष,
6. खेत सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष,
7. विजय सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष,
8. कंवर सिंह पुत्र श्री करण सिंह, आयु लगभग 42 वर्ष,
9. मूला राम पुत्र स्व. श्री पूना राम, आयु लगभग 50 वर्ष,
10. पप्पू सिंह पुत्र श्री माधो सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष,
11. बालूदास पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, आयु लगभग 40 वर्ष,
12. मांगी लाल पुत्र श्री नवलदास, आयु लगभग 45 वर्ष,
13. छ होगा राम पुत्र धूडा राम, आयु लगभग 50 वर्ष,
14. भोम सिंह पुत्र श्री भेरू सिंह, आयु लगभग 45 वर्ष,

याचिकाकर्ता संख्या 11 से 14 निवासी संतो की ढाणी, भाटेलाई पुरोहितां, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से.
2. जिला कलक्टर, जोधपुर, राजस्थान.
3. उपखंड अधिकारी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर, राजस्थान.
4. तहसीलदार, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.
5. ग्राम पंचायत भाटेलाई पुरोहितां, पंचायत समिति, बालेसर, जिला जोधपुर सचिव के माध्यम से.
6. सरपंच, ग्राम पंचायत भाटेलाई पुरोहितां, पंचायत समिति, बालेसर, जिला जोधपुर.

----प्रतिवादीगण

(359) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1902/2025

जेठी देवी पत्नी देवा राम, आयु लगभग 70 वर्ष, सरपंच, ग्राम पंचायत मीठी बेरी, तहसील मोखाड़ा, जिला बाड़मेर (राज.).

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से.
2. जिला कलक्टर, बाड़मेर.
3. उप-खंड अधिकारी, गुडामालानी, जिला बाड़मेर.
4. विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मीठी बेरी, पंचायत समिति आदेल, जिला बाड़मेर.

----प्रतिवादीगण

(360) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2387/2025

1. सुमेर सिंह पुत्र प्रेम सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी प्रेमसागर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.

2. तेज सिंह पुत्र प्रेम सिंह, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी 202- पंवारों की ढाणी, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
3. गंगा सिंह पुत्र प्रेम सिंह, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी प्रेमसागर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
4. शिव सिंह पुत्र दीप सिंह, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी प्रेमसागर, जोधपुर, राजस्थान.
5. रावल सिंह पुत्र आम सिंह, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी प्रेमसागर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
6. भवानी सिंह पुत्र गंगा सिंह, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी प्रेमसागर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
7. हाथी सिंह पुत्र सुमेर सिंह, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी प्रेमसागर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
8. कान सिंह पुत्र गंगा सिंह, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी प्रेमसागर, जोधपुर, राजस्थान.
9. जसवंत सिंह पुत्र गंगा सिंह, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी गली सं.7, शिक्षक कॉलोनी, चौपासनी स्कूल के सामने, जोधपुर, राजस्थान.
10. देवी सिंह पुत्र खुशला सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी प्रेमसागर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.) के माध्यम से.
2. जिला कलक्टर, जिला जोधपुर (राज.)
3. तहसीलदार, शेरगढ़, जिला - जोधपुर (राज.)
4. ग्राम पंचायत गजेसिंह नगर, पंचायत समिति शेरगढ़, जिला जोधपुर सरपंच के माध्यम से.

----प्रतिवादीगण

(361) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2392/2025

1. राजेंद्र सिंह पुत्र अनोप सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.

2. गायड सिंह राठौड़ पुत्र गजे सिंह, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी कमांडर हाउस, राजेंद्र नगर, गजेसिंह नगर, गजेसिंहनगर, जोधपुर, राजस्थान.
3. भैरू सिंह राठौड़ पुत्र बलवंत सिंह राठौड़, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी राजेंद्र नगर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
4. नरपत सिंह पुत्र बलवंत सिंह राठौड़, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी राजेंद्र नगर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
5. चैन सिंह पुत्र गजे सिंह, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी राजेंद्र नगर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
6. समंदर सिंह पुत्र नरपत सिंह, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी राजेंद्र नगर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
7. गणपत सिंह पुत्र अनोप सिंह, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी राजेंद्र नगर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
8. ओमकरण सिंह राठौड़ पुत्र गायड सिंह राठौड़, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी गजेसिंह नगर, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
9. जय पाल सिंह पुत्र मंगल सिंह राठौड़, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी सिरलो का बास, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.
10. चैना राम पुत्र हनुमाना राम, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी नाइयों का बास, भूंगरा, जोधपुर, राजस्थान.

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.) के माध्यम से.
2. जिला कलक्टर, जिला जोधपुर (राज.)
3. तहसीलदार, शेरगढ़, जिला - जोधपुर (राज.)
4. ग्राम पंचायत गजेसिंह नगर, पंचायत समिति शेरगढ़, जिला जोधपुर अपने सरपंच के माध्यम से.

----प्रतिवादीगण

(362) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2467/2025

1. अब्दुल गफ्फूर पुत्र मैन्दे खान, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी जाग्रिया, मोहरा, जोधपुर, मोहरी, राजस्थान-342301

2. राम सिंह पुत्र मूल सिंह, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी 95, जाग्रिया, मोहरा, जोधपुर, राजस्थान-342301.
3. इकबाल पुत्र हनीफ खान, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी जाग्रिया, मोहरा, डाक मोहरी, जिला जोधपुर, राजस्थान-342301.
4. दरबार सिंह पुत्र प्रेम सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी फौजी की ढाणी, जाग्रिया, बावरी कलां, मोहरा, जोधपुर, राजस्थान-342301.
5. मोहम्मद यासीन पुत्र आम दीन, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी जाग्रिया, बावरी कलां, फलोदी, जोधपुर, राजस्थान-342301.

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से.
2. जिला कलक्टर, फलोदी, राजस्थान.
3. उपखंड अधिकारी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी, राजस्थान.
4. तहसीलदार, तहसील फलोदी, जिला फलोदी.
5. सरपंच, ग्राम पंचायत जाग्रिया, पंचायत समिति फलोदी, जिला फलोदी.

----प्रतिवादीगण

(363) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2476/2025

1. दिनेश शर्मा पुत्र श्री विजय लाल, आयु लगभग 25 वर्ष,
2. अम्बा लाल पुत्र श्री गोविंद राम, आयु लगभग 54 वर्ष,
3. विशाना राम पुत्र श्री अम्बा लाल, आयु लगभग 31 वर्ष,
4. राम चन्द्र पुत्र श्री सुखा राम, आयु लगभग 69 वर्ष,
5. रावल राम पुत्र बाबूलाल, आयु लगभग 32 वर्ष,
6. प्रकाश चन्द्र पुत्र बागा राम, आयु लगभग 28 वर्ष,
7. मांगी लाल पुत्र पुरखा राम, आयु लगभग 58 वर्ष,
8. जासा राम पुत्र हरी राम, आयु लगभग 71 वर्ष,
9. जगदीश प्रसाद पुत्र हरजी राम, आयु लगभग 59 वर्ष,
10. अर्जुन पुत्र विजय लाल, आयु लगभग 32 वर्ष,
11. महेंद्र शर्मा पुत्र राम चन्द्र, आयु लगभग 34 वर्ष,
12. रूपा राम पुत्र जासा राम, आयु लगभग 33 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम जिंझिण्याला गोविंदा, ग्राम पंचायत जिंझिण्याला कलां,
पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर (राज.)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग (समूह-1), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से.
2. सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर.
3. जिला कलक्टर, जोधपुर.
4. उपखंड अधिकारी, बालेसर, जिला जोधपुर.
5. तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर.
6. ग्राम पंचायत, जिंझिण्याला कलां, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर (राज.), अपने ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से.
7. भंवर लाल पुत्र श्री भिन्या राम, निवासी ब्राह्मणों की ढाणियां, जिंझिण्याला गोविंदा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.

----प्रतिवादीगण

(365) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2715/2025

1. जुगता राम पुत्र श्री लक्ष्मण राम, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
2. आईदान राम पुत्र धर्म राम, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी राबरियों का बास पायला खुर्द, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
3. हरी राम पुत्र धर्म राम, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
4. लूणा राम पुत्र सावल राम, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
5. थाणा राम पुत्र झौंझार राम, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
6. लक्ष्मण राम पुत्र राजू राम, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
7. मागा राम पुत्र हरी राम, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी राबरियों की ढाणी, निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).

8. जोगा राम पुत्र पेहलाद राम, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी राईको की ढाणी, निम्बली, पायला खुर्द, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
9. पहलाद राम पुत्र वीरधा राम, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
10. बाबू राम पुत्र फुया राम, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
11. केशा राम पुत्र टीला राम, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी गोदारो की ढाणी, निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
12. भूरा राम पुत्र टीला राम, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
13. अचला राम पुत्र जेठा राम, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी गोदारो की ढाणी, निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
14. घमंडा राम पुत्र वगता राम, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी गोदारो की ढाणी, निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
15. श्रवण राम पुत्र जेठा राम, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
16. जेठा राम पुत्र पुरखा राम, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी गोदारो की ढाणी, पांयिणा खुर्द, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).
17. सुखदेव पुत्र केशा राम, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी गोदारो की ढाणी, निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा (राज.).

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से.
2. जिला कलक्टर, बालोतरा.
3. उपखंड अधिकारी, बालोतरा, जोधपुर.
4. तहसीलदार, सिणधरी, जिला बालोतरा.
5. ग्राम पंचायत रामदेवरा, पंचायत समिति पायला कलां, जिला बालोतरा ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से.

----प्रतिवादीगण

(366) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2748/2025

1. सुमेरा राम पुत्र श्री सगता राम, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर जिला जोधपुर.
2. दलपत सिंह पुत्र श्री रेवंत सिंह, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी देवनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.
3. अशोक कुमार पुत्र श्री भिन्या राम, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी देवनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.
4. राजू राम पुत्र श्री रांड छोरा राम, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी देवनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.
5. माधो सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी देवनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.
6. जिया राम पुत्र श्री मेहरा राम, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी देवनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.
7. पारस राम पुत्र श्री मेहरा राम, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी देवनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.
8. पेपा राम पुत्र श्री मांगणा राम, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर जिला जोधपुर.
9. नरपत राम पुत्र श्री माला राम, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी देवनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.
10. झुमर राम पुत्र श्री सूरता राम, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी देवनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.
11. नेमा राम पुत्र श्री मेहरा राम, आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी देवनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.
12. गुनेशा राम पुत्र श्री बस्ता राम, आयु लगभग 83 वर्ष, निवासी देवनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.
13. चेतन राम पुत्र श्री मूला राम, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी पाड़ेजीरो का बेरा, बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर जिला जोधपुर.
14. संतोष कुमार पुत्र श्री मांगी लाल, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी देवनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर.

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग (समूह-1), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से.
2. सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर.
3. संभागीय आयुक्त, जोधपुर.
4. जिला कलक्टर (भू अभिलेख), जोधपुर ग्रामीण
5. उपखंड अधिकारी बालेसर, जिला जोधपुर.
6. तहसीलदार (राजस्व), बालेसर, जिला जोधपुर.
7. ग्राम पंचायत जूदिया, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर सरपंच के माध्यम से.
8. लक्ष्मण सिंह, पटवारी, पटवार हल्का जूदिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर. वर्तमान में पटवार हल्का डोली, तहसील लूणी जिला जोधपुर.

----प्रतिवादीगण

(369) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3100/2025

1. ईश्वर सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम कुबड़िया, तहसील गागरा रोड, जिला बाड़मेर (राज.).
2. दान सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम कुबड़िया, तहसील गागरा रोड, जिला बाड़मेर (राज.).

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से.
2. जिला कलक्टर, बाड़मेर.
3. उपखंड अधिकारी, गागरा रोड, बाड़मेर.
4. तहसीलदार, गागरा रोड, जिला बाड़मेर.
5. ग्राम पंचायत गीराब, पंचायत समिति गागरा रोड, जिला बाड़मेर ग्राम विकास अधिकारी, जिला बाड़मेर के माध्यम से.

----प्रतिवादीगण

(404) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2722/2025

गणेशा राम पुत्र श्री गोमा राम, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम सोढो की ढाणी ग्राम
पंचायत रतनपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, विशेष शासन सचिव (समूह-1) राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से
2. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड अजमेर
3. जिला कलक्टर, बाड़मेर
4. उपखंड मजिस्ट्रेट, गुडामालानी जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार, गुडामालानी जिला बाड़मेर

----प्रतिवादीगण

(414) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4089/2025

ओमप्रकाश पुत्र समेला राम, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम लोहारवा, तहसील
धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव राजस्व विभाग, जयपुर के माध्यम से
2. जिला कलक्टर, बाड़मेर.
3. उप-खंड मजिस्ट्रेट, खंड धोरीमन्ना जिला बाड़मेर.
4. तहसीलदार धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर
5. सरपंच, ग्राम पंचायत लोहारवा, पंचायत समिति धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर.

----प्रतिवादीगण

(416) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4409/2025

अशोक कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी जानियों की बस्ती,
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने विशेष शासन सचिव (समूह-1), राजस्व विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से.
2. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड, अजमेर.

3. जिला कलक्टर, बाड़मेर.
4. उपखंड मजिस्ट्रेट, चौहटन, जिला बाड़मेर.
5. तहसीलदार धनाऊ, जिला बाड़मेर.

----प्रतिवादीगण

(429) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4230/2025

1. गोगा राम पुत्र केशरा राम चौधरी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी रामाणियों की ढाणी, पीपली बेरी, जिला बाड़मेर, राजस्थान.
2. रमेश पुत्र हंसा राम, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी लक्ष्मणसिंह की ढाणी, पीपली बेरी, जिला बाड़मेर, राजस्थान.
3. रघुनाथ राम पुत्र दलुराम चौधरी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी अजिता राम की बेरी, पीपली बेरी, जिला बाड़मेर, राजस्थान.
4. देवा राम पुत्र खीमा राम, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी पीपली बेरी, जिला बाड़मेर, राजस्थान.

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, विशेष शासन सचिव, राजस्व विभाग (समूह-1), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से.
2. सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर.
3. उपखंड अधिकारी, सेड़वा, जिला बाड़मेर.
4. तहसीलदार, सेड़वा, जिला बाड़मेर.
5. जिला कलक्टर, बाड़मेर.
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बामला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर.
7. ग्राम पंचायत बामला, पंचायत समिति सेड़वा, जिला बाड़मेर सरपंच के माध्यम से.

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से:

श्री डी.एल.आर. व्यास.

श्री डी.एस. उदावत

श्री सुनील बेनीवाल

श्री रामावतार सिंह

श्री ए.आर. गोदारा

श्री राम दयाल
 श्री शैलेन्द्र ग्वाला
 श्री रमेश सियाग
 श्री सुमेर सिंह राठौड़
 श्री श्रेयांश मारडिया
 श्री अक्षय कुमार सुराणा
 श्री त्रिलोक सिंह
 श्री आर.जे. पूनिया
 श्री रतीश भागनगर
 सुश्री लक्ष्मी राठौड़
 श्री राजेश भार्गव
 श्री मनोहर सिंह
 श्री विपिन मक्कड़
 श्री कुणाल उपाध्याय
 श्री ऋषभ तायल
 श्री एस.एस. लदरेचा, अपर महाधिवक्ता
 श्री मनीष पटेल.

प्रतिवादी(गण) की ओर से

:

श्री एस.एस. लदरेचा, अपर महाधिवक्ता
 श्री मनीष पटेल.

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

18/02/2025

1. रिट याचिकाओं के इस बैच को एक साथ सुना और तय किया जा रहा है क्योंकि वे एक समान शिकायत से उत्पन्न हुए हैं। हालाँकि, संक्षेप के लिए, रिट याचिकाओं के इस बैच में विवाद को तय करने के लिए एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3470/2025 के तथ्यों पर विचार किया जाता है।
2. जहाँ तक रिट याचिका संख्या 3470/2025 का संबंध है, इसे राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 20.1.2025 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो जिला बाड़मेर में नए राजस्व ग्राम "गोगाजी की जाल" के निर्माण से संबंधित है। अन्य रिट याचिकाएँ संबंधित पंचायत समितियों द्वारा परिपत्र दिनांक 20.8.2009 के खंड 4 के उल्लंघन में भेजे गए इसी तरह की अधिसूचनाओं और नए गाँवों के निर्माण के प्रस्तावों को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं।
3. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3470/2025 में संक्षेप में आवश्यक तथ्य यह है कि गोलिया जेठमल आदेल, जिला बाड़मेर के विकास अधिकारी ने पंचायत समिति आदेल, जिला बाड़मेर में नए ग्राम "गोगाजी की जाल" के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव भेजा था।

इसके लिए प्रस्ताव को दिनांक 30.9.2024 को आयोजित बैठक में लिया गया था. प्रस्ताव के साथ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया एक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (जिसे आगे से 'एनओसी' के रूप में संदर्भित किया गया है) संलग्न था. ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव की जांच संबंधित तहसीलदार ने प्रारंभिक जांच करके की, और उसके बाद एस.डी.ओ., गुडामालानी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नए ग्राम के निर्माण की सिफारिश की गई थी. जब नए ग्राम के निर्माण का तथ्य ग्रामीणों के संज्ञान में आया, तो ग्रामीणों ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 20.8.2009 के माध्यम से जारी किए गए दिशानिर्देशों के विरुद्ध था. हालाँकि, राज्य सरकार ने 20.1.2025 को राजस्व ग्राम "गोगाजी की जाल" के निर्माण को अधिसूचित करते हुए अधिसूचना जारी की, इसलिए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है.

4. इसी प्रकार, अन्य रिट याचिकाओं में, या तो अधिसूचना जारी की गई है या नए गाँवों के निर्माण के प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं और इस आशय के अभ्यावेदन दिए गए हैं कि ऐसे गाँवों का निर्माण परिपत्र दिनांक 20.8.2009 के खंड 4 का उल्लंघन है.

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि यद्यपि राज्य सरकार को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 16 के अनुसार नए गाँव बनाने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन परिपत्र दिनांक 20.8.2009 के माध्यम से ऐसे गाँवों के निर्माण के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. वर्तमान मामले में, दिशानिर्देशों के खंड 4 का उल्लंघन किया गया है क्योंकि गाँव का नाम किसी विशेष जाति के देवता पर है. इसी प्रकार अन्य मामलों में भी, कुछ व्यक्ति, जाति, उप-जाति या धर्म के नाम पर गाँवों के निर्माण की अधिसूचना जारी की गई है या प्रस्ताव भेजे गए हैं, और इसलिए, यह परिपत्र दिनांक 20.8.2009 के खंड 4 का घोर उल्लंघन है.

6. विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि नए बनाए गए गाँवों के नाम परिपत्र दिनांक 20.8.2009 के खंड 4 का उल्लंघन करते हुए नहीं रखे जा सकते. उनका कहना है कि जब कुछ मामलों में जिला कलक्टर, जोधपुर को अभ्यावेदन दिया गया था, तो जिला कलक्टर, जोधपुर ने मामले की जांच की और परिपत्र दिनांक 20.8.2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप गाँवों के नाम रखने के लिए अपने आदेश दिनांक 10.2.2025 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए. इसी तर्ज पर, राजस्व बोर्ड ने भी जिला कलक्टर, बाड़मेर को संबोधित एक आदेश दिनांक 10.2.2025 जारी किया है.

7. विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार अन्य मामलों में जहाँ अधिसूचना जारी नहीं की गई है, वहाँ नए बनाए गए राजस्व गाँवों को परिपत्र दिनांक 20.8.2009 के खंड 4 का घोर उल्लंघन करते हुए नाम देने के प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि अधिसूचना दिनांक 20.1.2025 और अन्य समान अधिसूचनाओं और परिपत्र दिनांक 20.8.2009 के खंड 4 के उल्लंघन में नए गाँवों के निर्माण के प्रस्तावों को रद्द और अपास्त किया जाए।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री एस.एस. लादरेचा, इस न्यायालय के समक्ष निवेदन करते हैं कि राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 17.2.2025 जारी करके परिपत्र दिनांक 20.8.2009 के खंड संख्या 4 में संशोधन किया है। इसकी एक प्रति रिकॉर्ड पर ली गई है। विद्वान एएजी का निवेदन है कि राज्य सरकार को भी कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए और पूरे मामले की पुनः जांच के बाद, राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 17.2.2025 जारी करके परिपत्र दिनांक 20.8.2009 की शर्त/खंड 4 को संशोधित/संशोधित करने की सलाह महसूस की है। विद्वान एएजी, इन परिस्थितियों में, बहुत ईमानदारी से निवेदन करते हैं कि सरकार परिपत्र दिनांक 17.2.2025 के आलोक में नए बनाए गए राजस्व गाँवों के निर्माण के लिए नए सिरे से अभ्यास करने के लिए तैयार है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवादियों को इस तरह के अभ्यास को नए सिरे से करने के लिए कुछ और समय दिया जाए।

9. मैंने बार द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है और मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड की जाँच की है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 20.08.2009 के खंड 4 में संशोधन करते हुए जारी किया गया परिपत्र दिनांक 17.02.2025 भी शामिल है।

10. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 16 इस प्रकार पुनः प्रस्तुत की गई है:

"16. मंडलों आदि के निर्माण, उन्मूलन या परिवर्तन की शक्ति

- राज्य सरकार [राजपत्र] में अधिसूचना द्वारा -

(क) नए [मंडलों] जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों और [उप-तहसीलों, ग्रामों] का निर्माण या मौजूदा को समाप्त कर सकती है, और

(ख) उनमें से किसी की भी सीमाओं को बदल सकती है।"

11. संक्षेप के लिए परिपत्र दिनांक 20.08.2009 का खंड 4 इस प्रकार है:

"नवीन राजस्व ग्राम प्रस्तावित करने के समय उसका नाम का प्रस्ताव भी भिजवाया जाए। नाम का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम का नाम किसी व्यक्ति, धर्म, जाति अथवा उप-जाति के आधार पर नहीं हो। जहाँ तक संभव हो, ग्राम का नाम आम सहमति से प्रस्तावित किया जाए।"

12. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17.02.2025 के माध्यम से परिपत्र 20.08.2009 के खंड 4 में किया गया संशोधन इस प्रकार है:-

अतः नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 20.08.2009 के बिंदु संख्या-4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

"प्रस्तावित राजस्व ग्राम के नाम का चयन स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय पारित कर ग्राम सभा का सहमति प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण-पत्र नवीन ग्राम के प्रस्ताव में आवश्यक रूप से संलग्न प्रकाशित किया जावे। ग्राम का नाम पूर्व प्रचलित ढाणियों के नाम अनुसार/आमजन में अभ्यस्त नाम/शहीद (प्रमाणित दस्तावेज की प्रति), महापुरुष आदि के नाम पर स्थानीय जनभावना को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किए जावें। यथा संभव प्रस्तावित ग्राम का नाम नाम व्यक्ति, धर्म, जाति अथवा उपजाति के आधार पर नहीं हो। ग्रामों के नाम का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि मूल तहसील में उसी नाम का कोई ग्राम या कस्बा आदि न हो, ताकि आमजन में भ्रान्ति की स्थिति उत्पन्न न हो।

बंधन संख्या 4 के अंत रात परिपत्र दिनांक 20.08.2009 में उल्लिखित अनुमान दण्ड यथावत रहेंगे।"

13. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 16, राजस्थान राज्य में नए गाँवों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करती है, जबकि नए गाँवों के निर्माण के लिए अभ्यास करते समय. इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 20.8.2009 में उल्लिखित मापदंडों/दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है.

14. संशोधित खंड 4 के अनुसार, नए बनाए गए राजस्व ग्राम को नाम देने के लिए आवश्यक मापदंडों का उल्लेख किया गया है. लोकतंत्र के लोकाचार और व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं. हालांकि, यह न्यायालय इस तथ्य को नोट करता है कि संशोधित खंड 4 को उदार रूप में पारित किया गया है, यद्यपि जांच और संतुलन की पवित्रता का उल्लेख किया गया है.

15. संशोधित खंड 4 का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 20.08.2009 के पहले के खंड 4 को अपने परिपत्र दिनांक 17.02.2025 के माध्यम से संशोधित किया है और अब ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा में बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करने का निर्देश दिया गया है और वह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा

जाना आवश्यक है. ऊपर बताए गए प्रावधान का एक सरसरी पाठ यह दर्शाता है कि एक नव निर्मित गाँव का नाम किसी व्यक्ति, जाति, उप-जाति या धर्म के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए और रिट याचिका के वर्तमान बैच में इसका नाम किसी व्यक्ति, जाति और उप-जाति पर रखा गया है. "गोगाजी" एक स्थानीय देवता हैं जिनकी पूजा एक विशेष समुदाय द्वारा की जाती है.

16. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, खंड 4 को इस शर्त के साथ शामिल करने का एक उद्देश्य और इरादा है कि समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करते हुए किसी विशेष व्यक्ति, जाति, उप-जाति या धर्म को अनुचित लाभ नहीं दिया जाना चाहिए.

17. जैसा कि यह नोट किया गया है कि राज्य सरकार को भेजा गया प्रस्ताव परिपत्र दिनांक 20.8.2009 का घोर उल्लंघन था, जिला कलक्टर, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 10.2.2025 के माध्यम से इसका संज्ञान लिया था और परिपत्र दिनांक 20.8.2009 में उल्लिखित शर्त/खंड के अनुरूप प्रस्ताव भेजने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. इसी तर्ज पर, राजस्व बोर्ड ने भी जिला कलक्टर, बाड़मेर को पत्र दिनांक 10.2.2025 जारी किया है. राज्य सरकार को भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यही शिकायतें उठाई गई थीं. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 20.8.2009 में संशोधन किया. चूंकि विद्वान एएजी ने इस न्यायालय के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया है कि राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 17.2.2025 द्वारा खंड 4 में एक संशोधन जारी किया है, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 20.1.2025 परिपत्र दिनांक 20.8.2009 के खंड 4 का उल्लंघन है. इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 20.1.2025 के समान सभी ऐसी अधिसूचनाएँ, जो इस न्यायालय के समक्ष दायर अन्य रिट याचिकाओं में विषय वस्तु हैं, वे भी परिपत्र दिनांक 20.8.2009 के खंड 4 के प्रावधानों से बाहर हैं.


18. ऊपर किए गए विचार-विमर्श के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका और रिट याचिकाओं के बैच का निपटान अधिसूचना दिनांक 20.1.2025 और राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य समान अधिसूचनाओं को रद्द और अपास्त करके किया जाता है. राज्य सरकार को परिपत्र दिनांक 20.8.2009 और 17.2.2025 में उल्लिखित मापदंडों/दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नए राजस्व गाँवों के निर्माण के लिए नई प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाता है.

19. ऊपर जारी किए गए निर्देश उन मामलों पर भी लागू होंगे जिनमें नए गाँवों के निर्माण के लिए अधिसूचना जारी नहीं की गई है और वे प्रक्रिया में हैं.
20. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं पर लागू होगा जिन्होंने इस न्यायालय से संपर्क किया है.
21. सभी लंबित अंतरिम आवेदन और साथ ही स्थगन आवेदन भी तदनुसार निपटाए जाते हैं.
22. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त प्रत्येक रिट याचिका में इस आदेश की फोटोकॉपी रखे.

(विनीत कुमार माथुर), न्यायमूर्ति

3-अनिल सिंह/-

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़